अधिसूचना सं0 10/2014- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क   नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि.   (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 64/95 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 256 (अ) तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 35 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"36	सभी माल	यदि,- (i) उक्त मालों का विनिर्माण राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.त.अ.सं. कहा गया है) के ठेकेदार के भारतीय आफसेट भागीदार (जिसे इसमें इसके पश्चात् भा.आ.भा. कहा गया है) द्वारा किया जाता है ; (ii) उक्त मालों का प्रदाय भा.आ.भा. द्वारा रा.त.अ.सं. द्वारा ठेकेदार से अर्जित रडारों में उपयोग के लिए की गई है । (iii) उक्त मालों की निकासी से पूर्व विनिर्माता भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक से अन्यून रा.त.अ.सं. के अधिकारी से शुल्क छूट का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है - (क) ठेकेदार को रा.त.अ.सं. द्वारा दिए गए क्रय आदेश के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए ; (ख) ठेकेदार द्वारा भा.आ.भा. को आपूर्ति किए जाने के लिए अपेक्षित मालों की मात्रा और विवरण के साथ भा.आ.भा. को ठेकेदार द्वारा दिए गए क्रय आदेश के

		ब्यौरे उपदर्शित करते हुए; और (ग) यह प्रमाणित करना कि उक्त माल उक्त ठेकेदार से रा.त.अ.सं. द्वारा अर्जित रेडारों में उपयोग के लिए आशयित है । स्पष्टीकरण - इस छूट की कोई बात 1 जनवरी, 2019 को या उसके पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।

[फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू]

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 64/95-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1995, सा.का.नि 256 (अ), तारीख 16 मार्च, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 26/2013- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 अगस्त, 2013 द्वारा सा.का.नि. 587(अ) तारीख 30 अगस्त, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।